संख्या ए–2–970 / दस–96–24(7)-95

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ।
3–आयुक्त,
व्यापार कर, उ0 प्र0, लखनऊ।
4–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
5–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 28 जून, 1996

विषय :– वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

वित्त (लेखा) अनुभाग–2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की समीक्षा हेतु गठित कोष्ठक की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकार उनके समक्ष अंकित अधिकारियों को प्रतिनिहित करते हैं।

2–उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और जो विशेष मदें, अनुलग्नक में सम्मिलित हैं, उनके बारे में कालम–5 में अंकित पूर्व प्राधिकार तदनुसार संशोधित / निरस्त समझे जाएंगे।

3–वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–1, द्वितीय संस्करण (31 दिसम्बर, 1985 तक संशोधित) के सम्बन्धित विवरण-पत्र अनुलग्नक के अनुसार संशोधित समझे जाएंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
शेखर अग्रवाल,
सचिव।

पृ0सं0 ए-2-970(1)/दस-96–24(7)-95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
4–निदेशक, कोषागार, उ0 प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार वर्मा,
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या ए–2–970 / दस–96–24(7)–95, दिनांक 28 जून, 1996 का अनुलग्नक

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
	विवरण पत्र–I–पुस्तकें, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन			
1	उनके अपने कार्यालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन खरीदना।	(क) विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, शासन के रसायनिक परीक्षक, आगरा, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलों के पुलिस अधीक्षक, प्रशासनाधिकारी, राज्य संग्रहालय, लखनऊ और प्रशासनाधिकारी, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा।	पूर्ण अधिकार।	शासकीय आदेश संग्रह (मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स) अध्याय–73 तथा शासनादेश संख्या ए–2–2629 / दस–84, दिनांक 1 जनवरी, 1985
		(ख) अन्य कार्यालयाध्यक्ष।	एक वर्ष में 1,200 रुपये तक (समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं–गैर तकनीकी पत्रिकाओं को छोड़कर)	शासनादेश संख्या ए–2–2629 / दस–84, दिनांक 1 जनवरी, 1985
	विवरण पत्र–II–मुद्रण सम्बन्धी व्यय			
1	निदेशक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री से पूर्व परामर्श किये बिना निजी मुद्रणालयों से पंजीयत / अपंजीयत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्य (जैसे नक्शे, नोटिस आदि) का मुद्रण कराना।	1–सचिवालय के प्रशासनिक विभाग। 2–विभागाध्यक्ष। 3–कार्यालयाध्यक्ष।	प्रत्येक मामले में 12,000 रु0 तक। प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये तक। प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये तक। **टिप्पणी** :–1–उक्त अधिकार का प्रयोग विक्रय प्रपत्रों के सम्बन्ध में नहीं किया जाएगा। अन्य प्रपत्रों के सम्बन्ध में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा।	शासनादेश संख्या ए–2–3657 / दस–84–14(1)–73, दिनांक 12 जून, 1984

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
			2–चेक बुक, रिपेमेन्ट आर्डर बुक तथा शासनादेशों का मुद्रण कार्य केवल राजकीय मुद्रणालयों से ही निदेशक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उ0 प्र0 के माध्यम से कराया जाएगा। 3–उक्त अधिकारों का प्रयोग प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी मैनुअल के पैरा 12 में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन किया जाएगा।	
1	(क) निदेशक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री से पूर्व परामर्श किये बिना स्थानीय स्तर पर तहसील, कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी के प्रयोग हेतु आवश्यक फार्म निजी मुद्रणालयों से छपवाना।	1–मण्डलायुक्त। 2–जिलाधिकारी।	प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये तक। प्रत्येक मामले में 5,000 रु0 तक। **टिप्पणी:**–उपरिलिखित क्रम-संख्या 1 के समक्ष कालम–4 में टिप्पणी में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना होगा।	शासनादेश संख्या ए–2–1055/दस–94–24 (6)–94, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994
		विवरण-पत्र-III–मकान का किराया		
1	शासन द्वारा पट्टे पर ली गयी भूमि के किराये का भुगतान स्वीकृत करना।	विभागाध्यक्ष।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट–10 में दी हुई शर्तों के अधीन रहने हुए, प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष 3,000 रुपये की सीमा तक।	शासनादेश संख्या ए–2–930/दस–84–14 (30)–73, दिनांक 28 फरवरी, 1984
2	अनावासिक प्रयोजनों (गोदामों को छोड़कर) के लिए किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना।	1–विभागाध्यक्ष एवं 2–मण्डलायुक्त	(1) देहरादून, गाजियाबाद, अलीगढ़ सहित सभी मण्डल मुख्यालय के जनपदों में :– रु0 2.50 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक,	शासनादेश संख्या ए–2–930/दस–84–14(30)–73, दिनांक 28 फरवरी, 1984 शासनादेश सं0 ए–2–436/

इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 6,000 रु0 प्रतिमास होगी।	दस–86–ए0क्यू0 (18)–85, दिनांक 23 अप्रैल, 1986
(2) एक लाख जनसंख्या से ऊपर के अन्य नगरों तथा पर्वतीय जिलों में :–	शासनादेश संख्या ए–2–996/दस–86–14(30)–73, दिनांक 30 सितम्बर, 1986
रु0 2.00 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 3,000 रुपये प्रतिमास होगी।	शासनादेश संख्या ए–2 313/दस –90–14(30)–73, दिनांक 16 मार्च, 1990
(3) एक लाख जनसंख्या से कम के नगरों में :–	
रु0 1.50 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 2,000 रु0 प्रतिमास होगी।	शासनादेश संख्या ए–2–24/दस–91–14(30)–73, दिनांक 11 जनवरी, 1991
(4) टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया में :–	शासनादेश संख्या ए–2–2672/दस–94–24(6)–94, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994
रु0 1.00 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 1,500 रुपये प्रतिमास होगी।	

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
			(5) ग्रामीण क्षेत्रों में :– रु0 0.50 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक। प्रतिबन्ध प्रत्येक दशा में यह है कि कार्यालय के लिए जगह वित्त (सी) विभाग के शासनादेश सं0 सी–2299/दस–एच–639–61, दिनांक 8 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूने के अनुसार ली जाए। **टिप्पणी** :–1. उपरोक्त सीमा अधिकतम सीमा है और विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त द्वारा अधिक से अधिक सस्ता स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। **टिप्पणी** :–2. "कारपेट एरिया" का तात्पर्य भवन के "फ्लोर एरिया" से है जिसमें किचन, बाथरूम, बरामदे, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसेज के फ्लोर एरिया शामिल नहीं होंगे। **टिप्पणी** :–3. जनपद व मण्डल स्तर के कार्यालय अपना किराया निर्धारण मण्डलायुक्त के स्तर पर करायेंगे। **टिप्पणी** :–4. शेष कार्यालय जिसमें मुख्यतः विभागाध्यक्ष स्तर के कार्यालय होंगे, विभागाध्यक्ष से अपना किराया निर्धारित करायेंगे।	

टिप्पणी :–5. विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों की सीमा से अधिक के मामले शासन के प्रशासकीय विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे।

3–प्रशासकीय विभाग

पूर्ण अधिकार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :–

(1) रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगरपालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो, किराया अधिक न हो। जहां इस प्रकार का भवन किराये पर उपलब्ध न हो, वहां किराया उस किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे जिलाधीश द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो।

(2) जहां कि भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिया जा रहा हो, वित्त (सी) विभाग के शासनादेश संख्या सी–2299/दस–एच–639–61, दिनांक 8 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूनों का यथेष्ठ ध्यान रखा जाना चाहिए और अन्य मामलों में जगह औचित्यपूर्ण आवश्यकताओं से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी :–1–सरकारी कार्यालयों के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
			(1) ऐसे भवन जो रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की परिधि के बाहर हैं, को किराए पर लेने के लिए विभाग को स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले तीन प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में दो बार लगातार कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराना चाहिए। विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से कराना आवश्यक न होगा। (2) विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों (offer) पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी और जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा जिसके उपरान्त ही सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया कमेटी की संस्तुति पर स्वीकृत किया जा सकेगा। (3) किराये के औचित्य का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे। तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा। टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया/ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा, परन्तु किराये का औचित्य प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए परगनाधिकारी अधिकृत होंगे।	

टिप्पणी :– 2. सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत आ गये हैं, उन भवनों के किरायें में वृद्धि के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी :–

सरकारी कार्यालयों के लिये किराये पर लिये गये जो भवन "उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972" के प्राविधानों के अन्तर्गत आ गये हैं, यदि उनका बढ़ाने की मांग मकानदार द्वारा की जाती है तो उसे इसके लिये उक्त अधिनियम की धारा-21 (8) के प्राविधानों का पालन करना होगा, जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, मकानदार के आवेदन-पत्र पर उसके लिये देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किरायेदार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन-पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा किन्तु अग्रेतर वृद्धि करने के लिये इस प्रकार का आवेदन-पत्र वृद्धि के अन्तिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही दिया जा सकेगा। यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्ते तय हो चुकी हों, तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि सम्भव नहीं होगी।

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
3	(1) भण्डार (स्टोर्स), वस्तुएं (मैटीरियल्स), औजार और सयंत्र इत्यादि के संग्रह करने के निमित्त किराये पर लिये गये गोदामों का किराया स्वीकृत करना।	1–विभागाध्यक्ष 2–प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में 2,500 रुपये प्रतिवर्ष तक। पूर्ण अधिकार।	शासनादेश संख्या ए–2–235/दस–84, दिनांक 4 मार्च, 1985

विवरण–पत्र–VIII–प्रकीर्ण आकस्मिक व्यय

3	नीलामकर्ताओं को, जहां उनकी सेवाएं लेना अनिवार्य समझा जाए, कमीशन का भुगतान स्वीकृत करना।	विभागाध्यक्ष	उनके द्वारा बिक्री की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत की अनधिक दर तक, किन्तु नीलामकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त करनी होगी।	कार्यालय ज्ञाप संख्या 2719/दो–वी–182–54, दिनांक 5 अगस्त, 1955
12	(क) मेलों और तमाशों के सम्बन्ध में ली गयी नावों, साइकिलों और स्थानों को किराये पर लेने तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने की स्वीकृति देना।	2–विभागाध्यक्ष	किसी एक मेले के सम्बन्ध में 500 रुपये प्रतिमाह की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियां न हों।	–तदैव–
12	(ग) प्रदर्शनियों के लिए व्यय स्वीकृत करना जिसमें परिवहन व्यय, अस्थाई कर्मचारियों का यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय इत्यादि सम्मिलित है।	विभागाध्यक्ष	एक वर्ष में 10,000 रु0 तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियां न हों।	शासनादेश संख्या ए–2–2883/दस–14(39)–72, दिनांक 23 दिसम्बर, 1972

21	विलम्ब शुल्क (डैमरेज/वारपेज चार्जेज) पर व्यय स्वीकृत करना।	1–प्रशासकीय विभाग 2–विभागाध्यक्ष 3–कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकार, किन्तु 2,500 रुपये से अधिक के मामले में प्रशासकीय विभाग को सूचित करना होगा। पूर्ण अधिकार परन्तु 1,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक मामले में विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा।	शासनादेश संख्या ए–2–1637/दस–14(1)–75, दिनांक 26 जून, 1975
22	शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि जैसे अवसरों के सम्बन्ध में आकस्मिक व्यय स्वीकृत करना।	प्रशासकीय विभाग	2,000 रुपये की सीमा तक, इस प्रतिबन्ध के साथ कि एक वित्तीय वर्ष में कुल व्यय 20,000 रुपये से अधिक न हो तथा मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो व व्यय सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या आठ (6/51/67) सामान्य प्रशासन अनुभाग–2, दिनांक 28 जनवरी, 1972 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार हो।	शासनादेश संख्या ए–2–1702–1/दस–14(30)–73, दिनांक 25 अगस्त, 1973

विवरण–पत्र XIII–अस्थायी अधिष्ठान

1	अपने विभागों से समस्त अनुभागों और शाखाओं में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी पदों का सृजन स्वीकृत करना।		इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।	शासनादेश संख्या ए–2–2648/दस–14(11)–71, दिनांक 20 अक्टूबर, 1972 और ए–2–1637/दस–14(1)–75, दिनांक 26 जून, 1975

विवरण–पत्र–XVI–भूमि तथा भवन

3	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियन्त्रण के अधीन (आवासिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का (जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से) विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना।	1–विभागाध्यक्ष	भवनों का विध्वंस एवं विक्रय स्वीकृत करने के मामले में 50,000 रुपये के खाता मूल्य तक। कलेक्टर के इस आशय के प्रमाण–पत्र के अधीन कि उन्होंने अपेक्षित जांच के बाद और अपनी पूरी जानकारी में यह सुनिश्चित कर लिया है कि उक्त भवन की किसी अन्य विभाग की आवश्यकता नही है और किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उसे सुविधापूर्वक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।	शासनादेश संख्या–ए–2–443/दस–85, दिनांक 18 मार्च, 1985

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
		2–प्रशासकीय विभाग	50,000 रुपये से अधिक एवं 1.00 लाख रुपये के खाता मूल्य तक। **टिप्पणी** :–(1) भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। (2) भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।	
4	(ख) गैर–आवासिक भवनों को जिनकी सरकारी प्रयोग के लिये आवश्यकता न हो, किराये पर देना।	प्रशासकीय विभाग	प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग एवं न्याय विभाग के परामर्श से कार्यवाही करेंगे।	शासनादेश संख्या ए–1–3431/दस–14(9)–1961, दिनांक 12 सितम्बर, 1961
			विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष की प्रतिनिहित अधिकार समाप्त किये जाते हैं।	शासनादेश संख्या–ए–2–1702–1 /दस–14(30)–73, दिनांक 25 अगस्त, 1973
		विवरण–पत्र–XVII–निर्माण कार्य		
20	वर्तमान आवासिक भवनों में सुधार के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान करना।	1–विभागाध्यक्ष 2–प्रशासकीय विभाग	आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में 10,000 रु0 की सीमा तक। आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में 50,000 रु0 की सीमा तक किन्तु शर्त यह है कि मानक किराया (स्टैण्डर्ड रेन्ट) या ऐसे वर्ग के किरायेदारों की, जिनके लिए वह बना हो, औसत उपलब्धियों के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।	शासनादेश संख्या–ए–2–3148/दस–35–एसी–1972 सा0नि0वि0 (9), दिनांक 14 दिसम्बर, 1972

विवरण–पत्र–XVIII–ठेके और टेण्डर

1	(क) छोटे निर्माण कार्यों (पेटी वर्क्स) के निष्पादन तथा सभी प्रकार की मरम्मतों के लिये टेन्डर/ठेके स्वीकृत करना।	1–कार्यालयाध्यक्ष	आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में 25,000 रु0 तक किन्तु शर्त यह है कि अनुमान विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हों।	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग–1 का पैरा 264
		2–विभागाध्यक्ष	आय-व्ययक प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में 50,000 रु0 तक।	

विवरण-पत्र–XX–भण्डार और सामग्री

3	(1) नयी साज-सज्जा का क्रय स्वीकार करना।	1–विभागाध्यक्ष	निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार :– (1) किसी एक वस्तु का मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। (2) क्रय की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये। (3) स्वीकृत–विशिष्ट प्राविधानित अनुदानों के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध हैं।	शासनादेश संख्या–ए–2–1063(1) दस–14(4)–81, दिनांक 13 अगस्त, 1981
		2–प्रशासकीय विभाग	10,000 रुपये से ऊपर के मूल्य की किसी वस्तु के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी। **टिप्पणी** :–नई साज-सज्जा की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की सूची परिशिष्ट 'क' में दी गई है।	

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
	परिशिष्ट "क"			
	1–टाइपराइटर			
	2–डुप्लीकेटर / फोटोस्टेट मशीन			
	3–टाइमपीस / क्लाक			
	4–वाटर बेसिन / जग / तसल्ला			
	5–वाटर कूलर, एक्जास्ट पंखे, एयर कंडीशनर और रूम हीटर			
	6–फोटोग्राफी उपकरण			
	7–अस्पतालों के लिए बेड			
	8–पंच मशीन व स्टेपलर			
	9–कैलकुलेटर			
	10–आलमारी व कैश सेफ			
22	फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय स्वीकृत करना (अभियन्त्रण विभागों को छोड़कर)	1–कार्यालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी के अधिकारी)	5,000 रुपये से अनधिक मूल मूल्य तक इस प्रतिबन्ध के साथ कि फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अनधिक ह्रासित मूल्य पर किया जाये।	शा0 संख्या–ए–2–466 / दस–85, दिनांक 19 मार्च, 1985 शा0 संख्या–ए–2–451 / दस–92–17 (1)–92, दिनांक 7 अगस्त, 1992
		2–विभागाध्यक्ष	(क) 50,000 रुपये से अनधिक मूल मूल्य के फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अनधिक ह्रासित मूल्य पर किया जाय।	शासनादेश संख्या–ए–2–391 / दस–93–17(1)–92, दिनांक 10 जून, 1993 ।

	(ख) 50,000 रुपये से अनधिक मूल मूल्य के निष्प्रयोज्य भण्डार को।	
3–मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में :–	
	(क) 50,000 रुपये से अनधिक मूल मूल्य के फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अनधिक ह्रासित मूल्य पर किया जाय।	शा0 संख्या–ए–2–1058/दस–94 24(6)–94, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 ।
	(ख) 50,000 रुपये से अनधिक मूल मूल्य के निष्प्रयोज्य भण्डार को।	
4–प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले में 50,000 रुपये से अधिक एवं 3,00,000 रुपये तक ऊपर मद संख्या–2 में उल्लिखित शर्तों के साथ।	
	टिप्पणी :– जब भण्डार किसी प्राविधिक अथवा औद्योगिक विद्यालय का हो तो विक्रय के लिये परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।	
	3,00,000 रुपये से अधिक लागत की फालतू एवं निष्प्रयोज्य भण्डार के विक्रय के प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने हेतु प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव /सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य वित्त विभाग के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो) तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होंगे; केवल अतिविशिष्ट तथा जटिल मामले ही वित्त विभाग को संदर्भित किये जायेंगे।	

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
	विवरण–पत्र–XXI–राजस्व में छूट अथवा परित्यजन			
1	राजस्व में छूट देना अथवा वसूली छोड़ देना :–			
	(1) ऐसी धनराशियां, जो विभागाध्यक्षों द्वारा वसूल न होने योग्य प्रमाणित की गई हो।	1–प्रशासकीय विभाग 2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये तक।	शासनादेश संख्या ए–2–2648/दस–14(11)–71, दिनांक 2 नवम्बर, 1972 ।
	(2) ऐसी धनराशिया, जो वसूल न होने योग्य घोषित न हुई हो।	1–प्रशासकीय विभाग 2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में 2,000 रुपये तक। प्रत्येक मामले में 2,000 रुपये तक। प्रत्येक मामले में 1,000 रुपये तक।	
			निम्नलिखित शर्तों के अधीन :– (1) इस अधिकार का प्रयोग उन मामलों में नहीं किया जाएगा जिनमें कि ऐसी छूटें किसी अधिनियम या नियमावली अथवा पृथक अनुदेशों द्वारा नियन्त्रित होती हों अथवा कोई विशेष प्रतिनिधायन मौजूद हो। (2) जहां पर छूट देने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित हो वहां उसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। (3) उस मामले में प्रक्रिया के किसी दोष का पता न चले। (4) किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से असावधानी न की गई हो जिसमें किसी उच्चतर प्राधिकारी के आदेश अपेक्षित हों। (5) प्रत्येक मामले में वसूली की छूट के कारण अभिलिखित किये गये हों।	

विवरण–पत्र–XXII–हानियों को बट्टे खाते डालना

1	भण्डार या लोक–धन की अवसूलनीय हानियां जिनके अन्तर्गत पूर्णतः नष्ट हुए स्टाम्पों की हानि भी सम्मिलित है, को बट्टे खाते डालना।	1–कार्यालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी के अधिकारी)	प्रत्येक मामले में 2,000 रुपये तक, किन्तु एक वर्ष में कुल 10,000 रुपये की सीमा तक।	शासनादेश संख्या ए–2–2630(2) दस–84, दिनांक 1 जनवरी, 1985 ।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मद में 20,000 रुपये की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक न हो।	
		3–मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में :–	
			प्रत्येक मद में 20,000 रुपये की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक न हो।	शासनादेश संख्या ए–2–3087/दस–1994–24(6)–94, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 ।
		4–प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मद में 20,000 रुपये से अधिक तथा 50,000 रुपये से अनधिक की सीमा तक बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य 1,00,000 रुपये से अधिक न हो। उपरोक्त प्रतिनिधायन इस शर्त के अधीन है कि हानि से इस बात का पता न चलता हो कि– (1) प्रणाली का कोई दोष है जिसमें संशोधन के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो, अथवा (2) किसी एक विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की ओर से कोई घोर असावधानी की गई है जिसके निमित्त सम्भवतः अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो।	

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
5	सरकारी पुस्तकालयों से खोई अथवा नष्ट हुई पुस्तकों की अवसूलनीय हानियों को बट्टे खाते डालना।	1–विभागाध्यक्ष एवं 2–जिला तथा सेशन जज और उप पुलिस महानिरीक्षक ।	प्रत्येक पुस्तक के सम्बन्ध में 250 रुपये के मूल्य तक किन्तु एक वर्ष में कुल 20,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक।	शासनादेश संख्या ए–2–530/दस–84, दिनांक 1 जनवरी, 1985
		3–प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक पुस्तक के सम्बन्ध में 500 रुपये के मूल्य तक किन्तु एक वर्ष में कुल 1,00,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक। **टिप्पणी** :– 500 रुपये से अधिक मूल्य के प्रत्येक पुस्तक के मामलें वित्त विभाग की सहमति से निस्तारित होंगे।	
6	राजस्व की हानि (जिनके अन्तर्गत न्यायालयों द्वारा डिक्री की गयी अवसूलनीय धनराशि भी सम्मिलित है) या अवसूलनीय ऋण या अग्रिम धन का बट्टे खाते डालना।	1–विभागाध्यक्ष	5,000 रुपये की सीमा तक, प्रतिबन्ध यह है कि प्रशासकीय विभाग को यथानुसार अवगत कराया जाये।	शासनादेश संख्या ए–2–2630 (2)–84, दिनांक 1 जनवरी, 1985
		2–मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में :– 5,000 रुपये की सीमा तक, प्रतिबन्ध यह है कि प्रशासकीय विभाग को यथानुसार अवगत कराया जाये।	शासनादेश संख्या ए–2–3087/दस–1994–24(6)–94, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 ।
		3–प्रशासकीय विभाग	10,000 रुपये की सीमा तक। वित्त विभाग की सहमति से–10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये की सीमा तक। **टिप्पणी** :–उपरोक्त अधिकार का प्रयोग उन्हीं शर्तों के अधीन किया जाएगा जो मद संख्या–1 में उल्लिखित हैं।	

9.	दुर्घटनाओं, जालसाजी, असावधानी या अन्य कारणों से खोये या नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए भण्डारों एवं अन्य सम्पत्ति के वसूल न हो सकने वाले मूल्य या खोये सरकारी धन की वसूल न हो सकने वाली धनराशियों को बट्टे खाते डालना।	1–कार्यालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी के अधिकारी)	प्रत्येक मामले में 2,000 रुपये तक बशर्ते एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की हानियां बट्टे खाते में न डाली जाये।	शासनादेश संख्या ए–2–2630/दस–84, दिनांक 1 जनवरी, 1985 ।
		2–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मद में 20,000 रुपये की सीमा तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रुपये 50,000 की अधिकतम सीमा तक।	
		3–मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में :–	शासनादेश संख्या ए–2–3087/दस–1994–24(6)–94, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994
			प्रत्येक मद में 20,000 रुपये की सीमा तक, किन्तु एक वर्ष में कुल 50,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक।	
		4–प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मद में 20,000 रुपये से अधिक तथा 50,000 रुपये से अनधिक की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य 1,00,000 रुपये से अधिक न हो।	
			टिप्पणी :–उपरोक्त प्रतिनिधायन उन्हीं शर्तों के अधीन हैं जो मद संख्या–1 में उल्लिखित है तथा कार्यालयाध्यक्ष, उक्त अवसूलनीय हानियों के अपलेखन के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष को भी सूचित करेंगे।	
11	स्टाक में अन्तर्विष्ट स्टोरों के मूल्य में और अन्य लेखाओं में कमियां और ह्रास (मोटर गाड़ियां व मोटर साइकिल के अतिरिक्त) के मामलों को बट्टे खाते में डालना।	1–विभागाध्यक्ष	5,000 रुपये तक प्रशासकीय विभाग को अवगत कराते हुए।	शासनादेश संख्या ए–2–2630(2)/दस–84, दिनांक 1 जनवरी, 1985
		2–मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध में :–	
			5,000 रुपये तक प्रशासकीय विभाग को अवगत कराते हुए।	शासनादेश संख्या ए–2–3087/दस–1994–24(6)–94, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
		3–प्रशासकीय विभाग	5,000 रुपये से 10,000 रुपये की सीमा तक। वित्त विभाग की सहमति से– 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये की सीमा तक।	
14	(क) व्यापार कर देयों की वसूली न होने वाली धनराशि को उसे वसूल करने के हर सम्भव प्रयत्न करने के पश्चात संयुक्त जांच दल (joint enquiry team) द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात् इस आशय का प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कि देय वसूल नहीं किया जा सकता, बट्टे खाते में डालना।	लखनऊ, कानपुर नगर, झांसी, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, देहरादून एवं नैनीताल जिलों के लिए। 1–डिप्टी कलेक्टर व्यापार कर (संग्रह) 2–सहायक आयुक्त (शा0) व्यापार कर 3–उपायुक्त, व्यापार कर	प्रत्येक मामले में 2,500 तक। इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है। प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये तक संयुक्त जांच दल द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के डिप्टी कलेक्टर, व्यापार कर (संग्रह) द्वारा सन्तुष्ट होने पर कि देय वास्तव में वसूल नहीं हो सकती, प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर।	शासनादेश संख्या एस0टी0–दो–4616/दस–74– 980(3)–63, दिनांक 17 सितम्बर, 1974 शासनादेश संख्या वि0क0–3–5254/दस–31(298)–76, दिनांक 10 फरवरी, 1977 तथा शासनादेश संख्या व्या0क0–3– 328/11–95 –9 (84)–94, दिनांक 2 फरवरी, 1995
		4–आयुक्त, व्यापार कर	प्रत्येक मामले में 1,00,000 रुपये तक संयुक्त जांच दल द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के डिप्टी कलेक्टर, व्यापार कर (संग्रह) द्वारा सन्तुष्ट होने पर कि देय वास्तव में वसूल नहीं की जा सकती, प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर।	
		5–प्रशासकीय विभाग	1,00,000 रुपये से ऊपर परन्तु, 5,00,000 रुपये से जो अधिक न हो, के प्रत्येक मामले में संयुक्त जांच दल द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के सम्बन्धित डिप्टी कलेक्टर, व्यापार कर (संग्रह) तथा आयुक्त, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संतुष्ट होने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर वित्त विभाग की सहमति से।	

14	(ख) व्यापार कर देयों की वसूली न होने वाली धनराशि को उसे वसूल करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करने के पश्चात् व्यापार कर अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर अथवा नायब तहसीलदार तथा सहायक व्यापार कर अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आवश्यक जांच संयुक्त जांच पड़ताल के पश्चात् इस आशय का प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कि देय वास्तव में वसूल नहीं की जा सकती, बट्टे खाते डालना।	उपरोक्त जिलों को छोड़कर शेष जिलों के लिए।	
		1–परगनाधिकारी	प्रत्येक मामले में 2,500 रुपये तक।
		2–जिले का कलेक्टर	प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये तक।
		3–मण्डलायुक्त	प्रत्येक मामले में 1,00,000 रुपये तक डिप्टी कलेक्टर तथा व्यापार कर अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के कलेक्टर संग्रह द्वारा सन्तुष्ट होने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर वित्त नियन्त्रक मण्डलीय मुख्यालय, राजस्व परिषद् के परामर्श से।
		4–प्रशासकीय विभाग	1,00,000 रुपये से ऊपर परन्तु 5,00,000 रुपये से जो अधिक न हो, के प्रत्येक मामले में डिप्टी कलेक्टर तथा व्यापार कर अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के सम्बन्धित कलेक्टर तथा सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा सन्तुष्ट होने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर, वित्त विभाग की सहमति से।
			टिप्पणी :–अप्रतिलभ्य व्यापार कर बकाया के अपलेखन (write-off) की स्वीकृति प्रदान करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि अपलेखन आदेश जारी किये जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर ली गई है :–
			(1) छः वर्ष से कम अवधि के बकाये के अपलेखन की आवश्यकता न्यूनतम होनी चाहिये यदि विशेष परिस्थितियों में छः वर्ष से कम अवधि के बकाये को अपलेखित (write-off) किया जाता है तो अपलेखन आदेश की एक प्रति शासन को भी सूचनार्थ भेज दी जाए।

क्रम-संख्या	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
			(2) प्रत्येक प्राधिकारी, उनके द्वारा स्वीकृत किये गये अपलेखनों के सम्बन्ध में रजिस्टर रखेगा जिसमें अपलेखन के सम्बन्ध में दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सभी आवश्यक तथ्य अंकित किये जायेंगे जो कि भविष्य में आवश्यकतानुसार देखे जा सकें। (3) अपलेखन आदेश जारी करने से पूर्व पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वसूली की दिशा में हर सम्भव कार्यवाही की जा चुकी है। जिस मामले में बकायेदारों की संख्या एक से अधिक हो, उसमें सभी के विरुद्ध वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जा चुकी है तथा बकायादार/बकायादारों की चल/अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या मामले की सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध है। (4) वसूली के सिलसिले में सम्बन्धित बकायादार/बकायादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। (5) बकायादार/बकायादारों से बकाया की वसूली के सिलसिले में विस्तृत जांच न केवल उनके व्यवसाय के स्थान पर वरन् उनके स्थायी अथवा अस्थायी निवासों की जगह पर भी की जा चुकी है।	

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 39 सा0 वित्त–4–11–06–(6436)–3,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।